

बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

सं०सं०-प्र०-1 वृ०ख०(IDIO)-03/19-...../एम० दिनांक-

निबधित/
रपीड
पोस्ट

प्रेषक,

सेवा में,

सुशील कुमार,
सरकार के अवर सचिव।

प्रबंध निदेशक,

मेसर्स IDIO Construction & Industries (India) Ltd.
अम्बिका ऑफसेट प्रिंटर्स के प्राण में
दरियापुर गोला, पटना-800004

श्रीमति रेणु सिंह,

मेसर्स IDIO Construction & Industries (India) Ltd.,
रोड नं०-23, मकान नं०-176, कृष्णानगर,
पोस्ट-बुद्धा कॉलोनी, पटना-800001

विषय:-

लखीसराय जिला में मेसर्स IDIO Construction Industries India Limited
द्वारा धारित क्वार्टरजाइट खनन पट्टा के बावत आपके द्वारा समर्पित खनन
योजना के अनुमोदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि बिहार खनिज (समानुदान अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के तहत विषयान्तर्गत अवस्थित मेसर्स IDIO Construction Industries India Limited द्वारा धारित क्वार्टरजाइट खनन पट्टा के बावत समर्पित खनन योजना की विस्तृत समीक्षा इस निमित्त गठित विनियमन समिति द्वारा करते हुए शर्तों के साथ खनन योजना के अनुमोदन की अनुशंसा की गई।

अतः सक्षम प्राधिकार द्वारा विषयान्तर्गत क्षेत्र हेतु समर्पित आपके खनन योजना के निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया जाता है:-

1. उक्त खनन योजना केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा विनियमित अन्य कानूनी अधिनियम/नियमावली में वर्णित प्रावधानों को तथा किसी न्यायालय/अन्य न्यायिक संस्था द्वारा पारित किये गये न्यायादेश को बिना प्रभावित किये अनुमोदित किया जा सकता है।
2. उक्त खनन योजना का अनुमोदन खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957/2015, बिहार खनिज (समानुदान अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के तहत विषयान्तर्गत क्षेत्र हेतु समर्पित आपके खनन योजना के निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया जाता है:-

1

नियमावली, 2019, मेटल माईन्स रेगुलेशन, 1961, वन संरक्षण अधिनियम, 1980, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986, श्रम श्रमिकी नियम तथा अन्य सभी सुसंगत अधिनियम/नियमावली तथा उनमें वर्णित प्रावधानों को प्रभावित नहीं करेगा। साथ ही पट्टेधारी द्वारा विभाग को किसी प्रकार के दावा से मुक्त (indemnified) रखा जाएगा।

3. पट्टेधारी द्वारा खनन योजना में निहित शर्तों को पालन करते हुए उक्त प्लान में वर्णित विधि से ही नियमानुसार पत्थर खनिज का उत्खनन एवं प्रेषण कार्य किया जायेगा तथा उक्त प्लान में वर्णित विधि अथवा शर्तों में किसी भी प्रकार का विचलन किये जाने की स्थिति में संबंधित पट्टेधारी इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेवार तथा नियमानुसार दण्डात्मक कार्रवाई के भागीदार होंगे।
4. पट्टेधारी द्वारा सभी संबंधित सक्षम प्राधिकार से यथा वांछित प्रमाण-पत्र तथा स्वीकृति प्राप्त कर विभाग को अवगत कराया जाएगा।
5. यदि किसी भी समय खनन योजना में वर्णित शर्तों के अनुपालन में अनियमितता पायी जाती है, तो समाहर्ता, लखीसराय/खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, लखीसराय को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार होगा।
6. संबंधित खनन पट्टा क्षेत्र में खनिज की उपलब्धता, पहुँच पथ का निर्माण तथा अन्य खनन कार्य अथवा उनमें किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न होने की स्थिति में उससे संबंधित सम्पूर्ण जबाबदेही पट्टेधारी की होगी तथा इसमें किसी भी तरह का कोई दावा अथवा क्षतिपूर्ति मान्य नहीं होगा।
7. खनन योजना में वर्णित सभी तकनीकी तथा अन्य बिन्दुओं से संबंधित आँकड़ों की सत्यता/वैधता की सम्पूर्ण जिम्मेवारी पट्टेधारी की होगी तथा भविष्य में उपर्युक्त के संबंध में किसी प्रकार की भिन्नता/अनियमितता की पूरी जबाबदेही पट्टेधारी की होगी।
8. पट्टेधारी द्वारा खनन योजना में खनन के दौरान explosives के उपयोग का उल्लेख किया गया है। पट्टेधारी को Indian Explosive Act तथा उसके अन्तर्गत विनियमित नियमावली में वर्णित प्रावधानों का पालन करना होगा। साथ ही अवांछित तत्वों द्वारा explosives का कोई दुरुपयोग नहीं हो, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी पट्टेधारी की होगी।
9. पट्टेधारी द्वारा सम्पूर्ण पट्टा अवधि के दौरान नियमानुसार सीमा स्तम्भ को स्थापित कर उसे सुरक्षित रखना होगा। उक्त सीमा स्तम्भ की स्थापना संबंधित पट्टा क्षेत्र के मानचित्र के अनुसार करने की पूरी जबाबदेही बंदोबस्ताधारी की होगी।
10. पट्टेधारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि खनन कार्य के दौरान खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करते हुए ही Blasting किया जाए। तथा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि उससे होने वाले कम्पन (vibration) से आस-पास की आबादी को कोई नुकसान/क्षति नहीं हो।

11. पट्टेधारी द्वारा अपने खनन पट्टा क्षेत्र में मैन पावर तथा मशीनरी के उपयोग के संबंध में खान सुरक्षा महानिदेशालय तथा अन्य सभी सक्षम प्राधिकार से नियमानुसार आवश्यक अनुमति प्राप्त कर ही खनन कार्य करना होगा।
12. पट्टेधारी द्वारा अपने माईनिंग प्लान में 58 मी० RL से खनन कार्य प्रारंभ करते हुए 2 मीटर RL तक खनन कार्य करने का प्रस्ताव दिया गया है। यद्यपि पट्टेधारी तथा ROP द्वारा खनन योजना में प्रस्तावित खनन कार्य को सम्पूर्ण खनन पट्टा अवधि के दौरान भू-जल सतह (water table) से उपर रखने की बात कही गई है, तथापि पट्टेधारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में खनन कार्य भू-जल सतह (water table) के नीचे नहीं हो।
13. पट्टेधारी द्वारा दो क्रशर की स्थापना का उल्लेख खनन योजना में किया गया है। उनके द्वारा उक्त क्रशर इकाई में उपयोग किये जाने वाले पत्थर खनिज की मात्रा से संबंधित पूर्ण विवरण का संधारण सुनिश्चित किया जायेगा।
14. पट्टेधारी को निविदा शर्तों तथा सैद्धांतिक स्वीकृत्यादेश में वर्णित सभी शर्तों एवं कर्तव्यों का पालन करना होगा।
15. पट्टेधारी बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के आलोक में पट्टा क्षेत्र की सम्पूर्ण घेराबंदी के उपरान्त ही खनन प्रारंभ करेंगे।
16. पट्टेधारी द्वारा पर्यावरण सुरक्षा हेतु सभी उपाय करने होंगे तथा नियमित रूप से जल/वायु की गुणवत्ता की जाँच/अनुश्रवण की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
17. पट्टा क्षेत्र के भौतिक सत्यापन के क्रम में अगर स्वीकृत मानचित्र एवं खनन योजना में दर्शाये गये Co-Ordinates में भिन्नता पाये जाने की स्थिति में खनन योजना स्वतः रद्द समझा जायेगा।
18. पट्टेधारी आबादी से हटकर दूसरे सड़क से ही खनिजों का प्रेषण करेंगे।
19. पट्टेधारी को Metalliferous Mines Regulation 1961 के नियम-106(2)(b) के तहत खान सुरक्षा महानिदेशालय से पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
20. बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद से CTE/CTO प्राप्त होने के पश्चात् ही खनन कार्य प्रारंभ करने की अनुमति दी जायेगी।
21. पट्टेधारी को पट्टा क्षेत्र का न्यूनतम 33 प्रतिशत क्षेत्रफल में पर्यावरण की सुरक्षा हेतु वृक्षारोपण करना होगा। पट्टेधारी को सेपटीजोन में ग्रीन बेल्ट बनाने होंगे एवं वह अन्यत्र उपलब्ध कराये गये जमीन पर वृक्षारोपण करना होगा।
22. वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुंगेर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक-20.05.2020 की कड़िका में आलोक में पत्थर खनन पट्टा के आसपास की प्रभावित आबादी का क्षेत्र, विद्यालय, शिल्प संस्थान, पुरातत्व विभाग का अनापत्ति, अस्पताल, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद का अनापत्ति, खनिज पदार्थ परिवहन का निश्चित मॉग एवं सीमा के संबंध में सक्षम प्राधिकार से प्रतिवेदन प्राप्त कर जिला खनन कार्यालय, लखीसराय को समर्पित करना होगा।

23. ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण के संदर्भ में भी आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई करनी होगी।
24. उक्त खनन पट्टा का पूर्व में खनन कार्य किया जाता रहा है। अतः उक्त स्थल एवं आसपास का Eco Restoration Plan पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना को समर्पित करना होगा एवं प्रतिलिपि जिला खनन कार्यालय, लखीसराय को देनी होगी।
25. सक्षम स्तर से Environment Clearance की आवश्यकता के साथ-साथ माननीय NGT द्वारा पारित अद्यतन आदेश का अनुपालन भी खनन कार्य से पूर्व करना होगा।
26. NGT, Eastern Bench, Kolkata के आदेश के तहत Compliance Report या Time Bound Action Plan पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना को समर्पित करना होगा एवं प्रतिलिपि जिला खनन कार्यालय, लखीसराय को देनी होगी।
27. Detail Control Pollution Arrangement तैयार कर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वट को समर्पित करना होगा एवं प्रतिलिपि जिला खनन कार्यालय, लखीसराय को देनी होगी।
28. Environment Clearance के समय NGT, Eastern Bench, Kolkata द्वारा सुनवाई के तहत बकाया राशि पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना में जमा करनी होगी एवं जिला खनन कार्यालय, लखीसराय को सूचना देनी होगी।
29. Greenbelt Development के लिए Cost Estimation का Detail Report पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना को समर्पित करना होगा एवं प्रतिलिपि जिला खनन कार्यालय, लखीसराय को देनी होगी।
30. खनन योजना की एक-एक प्रति, जो संबंधित RQP एवं पट्टेधारी द्वारा प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षरित होगी, निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग के कार्यालय के अतिरिक्त समाहर्ता, लखीसराय के गोपनीय कोषांग, उप निदेशक, खान एवं भूतत्व, मुंगेर अंचल, मुंगेर, जिला खनन कार्यालय, लखीसराय तथा खान सुरक्षा महानिदेशालय, धनबाद के कार्यालय में पट्टेधारी द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा, ताकि किसी भी समय इसकी जाँच इत्यादि की जा सके।

विश्वासभाजन

ह०/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापक-...../एम०, पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- समाहर्ता, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापक-.....24/97...../एम०, पटना, दिनांक-28/8/2020

प्रतिलिपि:- उपनिदेशक, मुंगेर अंचल, मुंगेर एवं खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Amrta
28/8/2020

28/8/2020
सरकार के अवर सचिव